



मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन 2017–2018



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017–2018

माननीय मंत्री जी

श्री गोपाल भार्गव

माननीय राज्य मंत्री जी

श्री संजय पाठक

मंत्रालय

प्रमुख सचिव

अशोक शाह

अपर सचिव

श्रीमती अलका श्रीवास्तव

अवर सचिव

चन्द्रकांत कश्यप

विभागाध्यक्ष

आयुक्त

अशोक शाह

संचालक

श्री बी. चन्द्रशेखर

म.प्र.समग्र सामाजिक

सुरक्षा मिशन



अनुक्रमणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी	1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....	2
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना	3
4. विभाग के दायित्व.....	5
5. विभागीय कार्यक्रम.....	10

भाग – दो


6. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....	14
---	----

भाग – तीन


7. उपलब्धियां	21
8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण	
● निःशक्त कल्याण	25
● सुधारात्मक सेवाएं	31
● सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....	39
● कलापथक	48
9. मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम—2010	49
10. आयुक्त निःशक्तजन	53
11. मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	54
12. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	56

भाग – चार

13. सामान्य प्रशासनिक विषय	61
● संसदीय कार्य	
● विधि विषयक कार्य	
● सूचना का अधिकार, पदोन्नति, नियुक्ति, विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण	
● घोषणा	
14. आयोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं.....	64
15. सारांश	68
16. परिशिष्ट	69



भाग - 1



मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	(हजार वर्ग कि.मी.) 308
प्रशासन	
संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	44
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएँ	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	80
डे—केयर सेन्टर	85
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	16
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	330
प्रशासकीय इकाई	
संभाग	10
जिले	51
कुल तहसील	367
राजस्व अनुभाग	218
विकास खण्ड / जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड / जनपद	89
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	22,824
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	264
कुल नगर	476
जनसंख्या (जनगणना 2011) (लाख में)	
कुल जनसंख्या	726.27
पुरुष	376.14
महिला	350.15
ग्रामीण	525.57
शहरी	200.70
अनुसूचित जाति	113.42
अनुसूचित जनजाति	151.36
दिव्यांगजन	15.51
वृद्धजन	57.13
विधवा	21.49
मजदूर	1.68
साक्षरता दर	70.60

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार पुर्नगठन हुआ है जिसके तहत एक—एक दायित्व अन्य विभागों को सौंपा गया है या नया विभाग गठित किया गया है, जो निम्न तालिका में वर्णित है।

क्रमांक	वर्ष	पुर्नगठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ़ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	सामाजिक न्याय संचालनालय से स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को हस्तांतरित। जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य वित्त विभाग को सौंपा गया।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्य सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है।


विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी, सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :— संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ—साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं जिलों में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में निम्न संस्थाएं/आयोग संचालित हैं –

- मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
- आयुक्त निःशक्तजन कल्याण
- मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति
- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढँचा



जिला स्तर

उप संचालक—44

सहायक संचालक -28

शासकीय संस्थाएँ-21

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी—427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब व कमजोर, निर्धन, निराश्रित के लिये दिव्यांगता के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :—

- निःशक्त कल्याण
- सामाजिक सहायता
- सुधारात्मक सेवाएं
- अन्य कार्यक्रम

निःशक्त कल्याण

निःशक्त कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंक सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं संचालित की जा रही है।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, विधवा, निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंशन योजनाएं, विवाह सहायता, परिवार सहायता, बीमा योजनाएं, मजदूर सुरक्षा योजना एवं अंत्येष्टि सहायता योजना संचालित की जा रही है।

सुधारात्मक सेवाएं

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन। निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन। वरिष्ठजनों को मनोरंजन एवं सामाजिक से सहभागिता हेतु डे-केयर सेंटर का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है। वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के समुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रम अंतर्गत अन्त्योदय मेला, नशामुक्ति कार्यक्रम, कलापथक दल, जागरूकता अभियान, राज्य स्तरीय पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

- द्विव्यांगजन
- वृद्धजन
- अन्य

अधिनियम	नियम
दिव्यांगजन	
● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016	मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
● द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999	द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999
वृद्धजन	
● माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	मध्यप्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009
अन्य	
● अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम, 1960
● मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम, 1977
● मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 व संशोधित नियम 2013



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आयोग

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ 297/3600/ एक/(1) दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा किया गया। सामान्य निर्धन वर्ग के गरीब, निर्धन, छात्र/छात्राओं के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि एवं इस वर्ग हेतु कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन कर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु गठित।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्व स्वैच्छिक संस्था है। मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश में यह नोडल एजेन्सी है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में निम्नानुसार 4 पृथक—पृथक एजेन्सियों को चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में मनोनीत किया गया है :—

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम | अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सदस्य |
| 2. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम | आदिवासी संवर्ग के लिए सदस्य |

3. अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त अल्पसंख्यक तथा अन्य सदस्य एवं विकास निगम पिछड़ा वर्ग के लिए
4. म.प्र.विकलांग कल्याण तथा विकास समिति सामान्य वर्ग के लिए अध्यक्ष मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-19/ 34/2003/1/4 दिनांक 4 फरवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद के माध्यम से भारत सरकार की मंशा अनुरूप प्रकरण तैयार कर लक्ष्य पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसाईटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्व संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यरत् है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुर्नवास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती हैं।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :—

मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अन्तर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस	31 मई
अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
2. बहु विकलांग / मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
5. अंत्येष्टि सहायता
6. आम आदमी बीमा / जनश्री बीमा योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
8. मुख्यमंत्री निकाह योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
11. निःशक्तजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं
12. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
17. निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक
19. वृद्धाश्रमों का संचालन / डे—केयर सेंटर / शतायु सम्मान

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- सामाजिक सुरक्षा
 - पेशन
 - विवाह
 - अन्त्येष्टि सहायता
 - अनुग्रह सहायता
 - बीमा

अन्य कार्यक्रम

- अंत्योदय मेलों का आयोजन
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मध्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला विकलांग तथा पुर्नवास केन्द्रों का संचालन
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- डी.डी.आर.एस. योजना का संचालन
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण
- एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम केन्द्रीय अनुदान योजना।

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
- विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार
- सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना



भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2017–18

(राशि लाख रु. में)

शीर्ष / योजना	कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुमान सहित)	व्यय जनवरी 2018 तक
आयोजना (9999)		
मांग संख्या 34—2235	5337.47	3253.65
मांग संख्या 53—2235	1000.00	288.33
योग (9999)	6337.47	3541.98
आयोजना		
मांग संख्या—35+53+64		
0101—राज्य आयोजना सामान्य	103511.57	77304.50
0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50285.79	34912.54
0103—अनुसूचित जाति उपयोजना	39726.47	28170.44
योग (0101+0102+0103)	193523.83	140387.48
कुल योग	199861.30	143929.46

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :—

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा, परित्यक्त महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दों पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत-प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग की योजनाओं हेतु पृथक से कोई केस स्टडी नहीं की गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत—प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार योजनायें निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2017–18	जेडर बजट का प्रतिशत	संभावित हितग्राही 2017–18
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)			
6692—मुख्यमंत्री निकाह योजना	900.00	100	1227
6710—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15000.00	100	30347
5863—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	40170.00	100	1006092
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)			
5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना	6940.00	40	115175
6690—माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	40	130
7084—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	8005.00	40	31220
8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	54159.70	40	1771525
9142—सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	48875.00	40	654067
0073—अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	1100.00	40	2946
0075—अंध मूक बधिरों को वृत्तियों	720.00	40	1519
6693—कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	40	43970
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)			
4564—सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	30	30
6694—कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	200.00	30	4178
7083—अंत्येष्टि योजना	100.00	30	

विभागीय संचालित योजनाओं में बंटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2017-18

आयोजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2017-18	स्कूल शिक्षा/स्वा थ्य /आई. टी.आई. /पी.डबलू. डी. विभाग को दिया गया बंटन	व्यय दि. 31.01. 18	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	{0075}	अंध मूक बधिरो को वृत्तिया	720.00	525.90	606.77	84.27
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओं को अनु. 002 बहु विकलांग को सहायता-007	1100.00	0.00	667.63	67.44
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	51.00	0.00	32.08	69.88
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	54159.70	0.00	45444.90	90.32
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	8005.00	0.00	6244.01	86.67
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	40170.00	0.00	31026.34	83.75
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	6940.00	0.00	4238.17	65.66
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15000.00	0.00	8497.23	59.63
9	{5442}	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	100.00	0.00	0.00	0.00
10	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेशन	48875.00	0.00	35779.06	76.57
11	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्यांके वेतन भत्ते	18.48	0.00	1.83	10.22
12	{4564}	सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	0.00	1.70	34.00
13	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	1.00	0.00	0.00	0.00
14	{5758}	कुशाभाउ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	0.01	0.00	0.00	0.00
15	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	146.50	0.00	42.84	31.20
16	{5247}	आम आदमी बीमा योजना	1800.02	0.00	350.00	19.44
17	{5614}	जनश्री बीमा योजना	3500.02	0.00	0.00	0.00
18	{0079}	दृष्टि एवं श्रवण बाधि.शालाये संस्थाये(वेतन भत्ते)	2091.64	0.00	1085.00	51.81
19	{0831}	कर्मचारी मुख्यालय वृन्द वेतन भत्ते	29.13	0.00	10.88	37.35
20	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
21	{6686}	वृद्धजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	6.00	0.00	1.94	35.93
22	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
23	{6689}	विकास खण्ड हेतु नवीन पदों का सृजन	45.00	0.00	0.00	0.00
24	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	0.00	1.30	16.29
25	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	3.00	0.00	0.00	0.00
26	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	900.00	0.00	357.90	39.77
27	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	0.00	2036.99	84.17
28	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	200.00	0.00	13.19	6.60
29	{8808}	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	7.00	0.00	1.31	20.79
30	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	100.00	0.00	51.46	51.46
31	{7360}	राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग	80.00	0.00	32.40	45.00
32	{7435}	मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग	0.01	0.00	0.00	0.00
33	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड./बी.पी.एड	100.00	0.00	0.00	0.00
34	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	200.00	180.00	180.00	100.00
35	{6584}	अंत्योदय मेलों का आयोजन	1100.00	0.00	220.19	20.02
36	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	1000.00	322.19	322.19	35.80
		योग	193523.83	1028.09	140387.48	77.32

विभागीय संचालित योजनाओं में आबंटन एवं व्यय वर्ष 2017–2018
आयोजना (9999)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2017–18	जनसंपर्क विभाग को दिया गया बंटन	व्यय दि. 31.01. 18	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	120.00	0.00	58.60	54.26
2	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	3679.77	0.00	2259.27	61.40
3	{4518}	साहित्य का उत्पादन	5.25	0.00	0.00	0.00
4	{5663}	निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	60.63	0.00	20.02	33.94
5	{3098}	भिक्षूक गृह की स्थापना	39.41	0.00	21.98	55.77
6	{0795}	कलापथक	1063.68	0.00	618.24	58.13
7	{1985}	दूरदर्शन कार्यक्रम	327.73	0.00	252.76	77.12
8	{5258}	भारतीय कृष्ट निवारण संघ	30.00	0.00	22.78	84.37
9	{5845}	राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था के सह. से प्रशि.	11.00	0.00	0.00	0.00
10	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	1000.00	224.89	288.33	32.04
		योग	6337.47	224.89	3541.98	56.94

भाग - 3



विशेष उपलब्धियां वर्ष 2017–18

1. सिंगल किलक पेंशन वितरण योजना का शुभारम्भ

1 अक्टूबर अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 'सिंगल किलक पेंशन भुगतान योजना' का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। सिंगल किलक पेंशन भुगतान योजना मध्यप्रदेश शासन की अभिनव पहल है। इससे 36 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लगभग रुपये 117 करोड़ से अधिक पेंशन राशि का ई-पेमेंट के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में प्रतिमाह की 1 तारिख को पेंशन जमा कराई जाती है, जिसकी सुचना उनके मोबाईल नम्बर पर दी जावेगी।

पहले पेंशन भुगतान में 313 जनपद पंचायत, 369 नगरीय निकायों के 682 कार्यालयों द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं में 54 तरह के बिल बनाकर कोषालय में जमा करने होते थे, जिसके कारण विलम्ब होता था, कई हितग्राहियों को पेंशन मिलने में देरी होती थी व हितग्राही को भुगतान की जानकारी भी नहीं होती थी। अब सिंगल किलक पेंशन वितरण व्यवस्था से समय पर पेंशन प्राप्त हो रही है और इसकी जानकारी पेंशन पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस तरह सिंगल किलक से पेंशन देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।



2. बिना आवेदन प्राप्त किये पेंशन हितग्राहियों को ऑटो स्विच

प्रतिमाह समग्र डेटाबेस का विश्लेषण कर पात्रतानुसार हितग्राहियों को अधिक लाभ वाली पेंशन योजना में बिना आवेदन प्राप्त किये ही ऑटो स्विच किया जाता है। विगत एक वर्ष में **5.85** लाख हितग्राहियों को ऑटो स्वीच कर उन्हें अधिक लाभ वाली पेंशन योजना का लाभ दिया गया।



3. समग्र पेंशन पोर्टल पर प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों को पात्रतानुसार बिना आवेदन के पेंशन स्वीकृत

पेंशन योजना अंतर्गत प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, परिवार का बी.पी.एल.स्टेट्स, निःशक्तता का प्रतिशत इत्यादि का विश्लेषण कर पात्रतानुसार प्रदेश के लगभग **15.64** लाख व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाकर पात्रतानुसार **2.16** लाख व्यक्तियों के ऑनलाईन आवेदन किये गये तथा लगभग **1.94** लाख व्यक्तियों को पेंशन पेंशन स्वीकृत की जाकर लाभ प्रदाय किया गया।

4. पेंशन स्वीकृति के अधिकार का प्रत्यायोजन

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं को सुगम्यता पूर्वक आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से पेंशन पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव को पेंशन स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं।

5. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर **रु. 2,00,000/-** (रुपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के निःशक्त होने पर **रु. 1,00,000/-** (रुपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है।

6. कन्या विवाह/निकाह हेतु स्मार्ट फोन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना में कन्याओं के विवाह हेतु पूर्व में रूपये 25,000/- प्रदाय किये जाते थे, जिसे संशोधित कर कन्या को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 3,000/- भी जोड़ा गया। इस प्रकार कुल सहायता राशि 28,000/- प्रति कन्या वर्तमान में दी जाती है। यह योजनाएं केन्द्रीयकृत बजट आवंटन आहरण व्यवस्था (ग्लोबलाईंज) में सम्मिलित हैं। वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 174.90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

7. आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत ऑटिज्म एवं सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों भी जोड़ना

छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसितों को आर्थिक सहायता राशि रूपये 500/- प्रतिमाह के अंतर्गत ऑटिज्म ग्रसित एवं सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों की श्रेणी को भी सम्मिलित किया गया। वर्तमान में योजनांतर्गत 66,985 दिव्यांगजन लाभांवित। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु. 50.18 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

8. अन्त्योदय मेला

अन्त्योदय मेला योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में राशि रु. 11.00 करोड़ का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक राशि रु. 1.72 करोड़ का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु. 12.10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

9. मध्यप्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 में संशोधन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता–पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण–पोषण भत्ता, आवेदक माता–पिता के बैंक खातों में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

10. नर्पदा तटीय क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने की पहल

नर्पदा तटीय क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा दिनांक 11.12.2016 के परिपालन में नशामुक्त फ्लेक्स, कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशामुक्त का वातावरण बनाया जा रहा है।

11. यू.डी.आई.डी. कार्ड प्रदान करना (Unique Disability ID Card)

म.प्र. में फरवरी 2017 से यूनिक कार्य जेनरेट करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, वर्तमान में 2,00,876 कार्ड पोर्टल के माध्यम से जेनरेट किये जा चुके हैं। देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई डी कार्ड मध्यप्रदेश में जेनरेट हुए हैं।

12. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिसंबर, 2016 लागू किया गया है। अधिनियम के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को प्रकाशित किया जा चुका है।

13. शत प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधितों का आवास

शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का आई.टी.आई. संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय सहायता प्रदान करना है ताकि निःशक्त छात्र—छात्राएं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। योजना प्रदेश के 07 संभागीय आईटीआई यथा—इन्दौर/भोपाल/उज्जैन/रीवा/जबलपुर/सागर एवं ग्वालियर में संचालित है।

14. निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

प्रदेश के 66,820 बहुविकलांग निःशक्तजनों के निरामय बीमा कराया जाकर निरामय स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 2.43 करोड़ राज्य निराश्रित निधि से एकमुश्त राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है।



विभागीय कार्यक्रम

निःशक्त कल्याण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में 330 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनान्तर्गत 41 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षण—प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2017–18 में रूपये 1220.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 582.41 लाख व्यय किया गया। जनवरी 2018 तक 2946 निःशक्त बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में निःशक्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण—प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित सहायक अनुदान के 39 प्रस्ताव रु. 363.06 लाख स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2017–18 में रूपये 14.40 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से जनवरी 2018 तक 108 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

निःशक्त पेंशन योजना

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को भारत सरकार द्वारा ₹ 300/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है। 80 वर्ष एवं अधिक आयु के निःशक्त को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हैं, उनको प्रतिमाह रुपये 300/- की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति को रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर ₹. 2,00,000/- (रुपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के निःशक्त होने पर ₹. 1,00,000/- (रुपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय जिले में संग्रहित निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि निःशक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो ₹. 25,000/- अतिरिक्त सहायता/सामग्री दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है।

निःशक्तजनों हेतु हेल्प लाईन

निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से टोल फ़ी दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800-233-4397 निरंतर संचालित है, जिसमें 2,09,010 (जनवरी 2018 की स्थिति में) निःशक्तजन लाभांवित हुये। केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नंबर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।



विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

(जनवरी 2018 की स्थिति में)

क्रमांक	योजना	हितग्राही
1	छात्रवृत्ति	66102
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना <ul style="list-style-type: none"> • लेपटाप वितरण • मोट्रेट साईकिल वितरण 	77 49
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	82
4	छात्रगृह योजना	234
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	34
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	20478
7	निःशक्त पेंशन	66282
8	मानसिक एवं बहुविकलांग को सहायता	68102
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	461

निःशक्त विवाह

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.55
2014–15	779	214.50
2015–16	1058	599.50
2016–17	1267	735.50
2017–18 (जनवरी 2018)	461	266.50
योग	9043	3194.85



निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

आटिज्म (Autism), सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), मेन्टल रिटारडेशन (Mental Retardation), मल्टीपल डिसेब्लिटी (Multiple Disabilities) के निःशक्तजनों हेतु निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिसमें 1 लाख रुपये के बीमा की सुविधा है। प्रदेश के 66,820 बहुविकलांग निःशक्तजनों के निरामय बीमा कराया जाकर निरामय स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। बीमा प्रीमियम की राशि रुपये 2.43 करोड़ राज्य निराश्रित निधि से एकमुश्त राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है।

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में रुपये 51.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर निःशक्त बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।



कौशल विकास प्रशिक्षण

स्पर्श अभियान के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु 108 दृष्टिबाधित तथा 230 श्रवण बाधितों को इस प्रकार कुल 408 निःशक्तजनों को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में श्रवण बाधितों हेतु 11 Interpreters की व्यवस्था की गई।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फेशन डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।



मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
दृष्टिबाधित	लेपटाप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर अथवा लेने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर।	
अस्थिबाधित	—“—	—“—	—“—
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	मोट्रेट ट्रायसिक्ल (बैटरी चलित)	9 कक्षा में प्रवेश लेने पर स्नातक में प्रवेश लेने पर	

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

सुधारात्मक सेवाएँ

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 वर्तमान में इन्दौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील है। इसके अन्तर्गत एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल 10 भिक्षुकों को लाभांवित किया गया।

निराश्रित निधि

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के तहत म0प्र0 निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम संशोधित 2013 बनाये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उपज पर क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

- **(नियम 3)** में उपनियम (5) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 अनुसार निःशक्तता की परिभाषा पूर्व से है। इसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित निःशक्तता आर्टिज्म, सेरेब्रलपाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एवं मेंटल रिटार्डेशन को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही विधवा/ परित्यक्ता तथा 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ निराश्रित बच्चों को भी जोड़ा गया है।
- **(नियम 5)** में उपनियम (3) अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा तथा सरकार के पक्ष में न्यूनतम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी।
- **(नियम 6) (4)** भवन निर्माण में कलेक्टर को ₹0 5 लाख तक तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को ₹ 1 करोड़ (एक करोड़) की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित है।

- **नियम–6 (5)** भवन निर्माण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।
- **नियम–6 (6)** भवन के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राजधानी परियोजना प्रशासक/म0प्र0 गृह निर्माण तथा अधोसंचना विकास मंडल को सम्मिलित किया गया है ।
- **(नियम 8) (2)** वृद्धाश्रम/विशेष शालाओं की स्थापना करते समय कलेक्टर फर्नीचर, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन, टी.व्ही. के फर्नीचर आदि की स्वीकृति दे सकेगा तथा 5 वर्ष पश्चात पुनः स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।
- **(नियम–8) (3)** आश्रम में निवासरत अंतःवासियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में ₹ 20,000/- (बीस हजार) की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी ।
- **(नियम 10) (4)** प्रयोजक को बिजली, पानी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ।
- **(नियम 10) (7)** कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर किसी अंतःवासी के इलाज पर अधिकतम ₹ 5,000/- प्रतिवर्ष व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।
- **नियम 11(ख)** सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत म0प्र0 राज्य बीमारी तथा स्थायी निःशक्तता निधि के अंतर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलेक्टर द्वारा ₹ 5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।
- **नियम 11 (ঠ)** **नियम 3** में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट जैसे, एक्स-रे, सी.टी.स्कैनिंग, एम.आर.आई, एंजियोग्राफी, टी.एम.टी., इको- कार्डियोग्राफी के लिये ₹ 10,000/-स्वीकृत कर सकेगा ।
- **नियम (12) (1)** जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय नियम 11 के खण्ड (घ) के प्रयोजन हेतु ₹ 10,000/- एक माह में तथा वार्षिक ₹ 1.00 लाख व्यय के अधिकार ब्याज की राशि से दिये हैं ।
- **(नियम 13) (1)** में प्रतिस्थापित किया गया है – आश्रम के अंतःवासियों की अंत्येष्ठी संस्कार हेतु 2000/- की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।
- **(नियम 13) (2)** ऐसे व्यक्ति के शव जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित हो की अंत्येष्ठि संस्कार हेतु 2000/- की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।

- **(नियम 13) (3)** निःशक्त, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से रुपये 2000/- मंजूर किया जा सकेगा।
- **(नियम 14) (1)** कर्मचारीवृद्ध की नियुक्ति (क) वृद्धाश्रम, (ख) विशेष शाला, (ग) छात्रावास के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा अवधारित दर के अनुसार पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु कलेक्टर अग्रसर हो सकेगा।
- **नियम (19) (1) (ख)** जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत रकम, राज्य निराश्रित निधि में प्रति वर्ष जमा की जाएगी।

जिलों हेतु निराश्रित निधि के अनुमोदित बजट अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर राशि के व्यय हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे।

निराश्रित निधि के माध्यम से संचालित कार्यक्रम

- निराश्रितों के लिये वृद्ध आश्रमों की स्थापना, डे-केयर सेंटर की स्थापना।
- निःशक्त बच्चों के लिये रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार, प्रदर्शन, चलित इकाइयों की स्थापना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि।
- जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्रों का संचालन।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, 2008 का संचालन।

शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2017 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 50 वृद्धजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया गया।



वृद्धाश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण—पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएँ मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम समय में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय—3 में धारा—19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से **80 वृद्धाश्रम संचालित** हैं। इन संस्थाओं को निराश्रित निधि से अनुदान दिया जाता है। सूची परिशिष्ट में।

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम (IPOP) योजना अन्तर्गत वृद्धाश्रमों की स्थापना व संचालन, वृद्धजनों के देखभाल गृह (रेसपाइट केयर), बहु सेवा केन्द्र का संचालन, मोबाइल चिकित्सा यूनिट, डे केयर सेंटर (डिमेंशिया), वृद्ध विधवा महिलाओं के लिये बहु सुविधा केन्द्र, फिजियोथेरेपी विलनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हेल्प लाइन एवं परामर्श केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।



डे केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों को अवसाद से बचाने व दिन में समय व्यतीत करने तथा समूह में संवाद करने के लिये डे केयर सेंटर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। डे केयर सेंटर में वरिष्ठजनों के मनोरंजन हेतु कैरम, शतरंज, पठन पाठन हेतु पुस्तके, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टी.व्ही. आदि की व्यवस्था होती हैं। इनका संचालन स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में 85 डे केयर सेंटर संचालित हैं। सूची परिशिष्ट में।



माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के 352 उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण गठित।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक सज्जेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

■ भरण पोषण अभिकरण	352
■ अपीलीय अभिकरण	50
■ अपीलीय अभिकरणों में वर्ष 2017–18 में 214 प्रकरण दर्ज, जिसमें 130 का निराकरण किया गया।	

मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोड़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया है।
- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता—पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण—पोषण भत्ता, आवेदक माता—पिता के बैंक खातों में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।



नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार-प्रसार के माध्यम से नशा के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 2 से 8 अक्टूबर मध्य निषेध सप्ताह तथा 30 जनवरी संकल्प दिवस का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 305 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं। आकाशवाणी केन्द्र भोपाल, एफ.एम. रेडियो, स्टील आयरन फ्रेम बोर्ड इत्यादि के माध्यम से नशामुक्ति का वातावरण निर्माण का प्रयास किया गया है। शासकीय कलापथक दल द्वारा नर्मदा तटीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं।

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 16 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित है।

नर्मदा तटीय 16 जिलों के 1198 ग्रामों में विभागीय कलापथक दल के कलाकारों द्वारा नशामुक्ति कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, नाटक आदि के माध्यम से करते हुये जनमानस को नशा के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुये लोगों से नशा न करने का संकल्प दिलाया जा रहा है।



सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा ₹ 100/- (राज्यांश) कुल ₹ 300/-
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 500/- (केन्द्रांश)



(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	54159.70	45444.90	1771525

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	40170.00	31026.35	1006092

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत निःशक्तता होना चाहिए, को भारत सरकार के मद से राशि रु0 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	6940.00	4238.17	115175



राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	8005.00	6244.01	31220



पेंशन योजनाएं : योजनाओं के नाम व पात्रता की शर्तें

क्रं.	योजना का नाम	लाभ (प्रतिमाह)	पात्रता की शर्तें
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रु. 300 /-	<ul style="list-style-type: none"> • 06 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के BPL निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना'। • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात् 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।) • 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला। • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की BPL परित्यक्तता महिला। • 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध। • 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों को पेंशन।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	रु. 300 /- रु. 500 /-	<ul style="list-style-type: none"> • 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL वृद्ध। • 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के BPL वृद्ध।
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रु. 300 /-	<ul style="list-style-type: none"> • 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला।
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रु. 300 /-	<ul style="list-style-type: none"> • 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हों।
5	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रु. 500 /-	<ul style="list-style-type: none"> • आयकर दाता नहीं होना चाहिये। • आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। • दंपत्ति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये।

पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के महत्वपूर्ण निर्णय

1. सिंगल विलक पेंशन योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2017 से किया गया है।
2. दिव्यांग पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना के अधिकारों को प्रत्यायोजित कर ग्राम पंचायत सचिवों को पेंशन स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं।
3. कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत 26.4.2017 से कन्याओं को अतिरिक्त रूप से स्मार्ट फोन की राशि रूपये 3000/- का चेक पृथक से दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश सरकार के कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

पात्रता के मापदण्ड

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
3. 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
4. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
5. 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं को दी जाने वाली पेंशन अब ‘दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि’ के नाम से दी जावेगी।
6. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात् 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।)
7. वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।



पेंशन की दर

- रुपये 300/- प्रतिमाह

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	48875.00	35779.05	654067

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2018 तक)	हितग्राही
2017–2018	2500.00	2036.99	43970

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17,000/- की राशि अकाउंट पेड़ी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी।
- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायजोब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/- (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000/-।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रति कन्या राशि रुपये 25,000/- की सहायता के अतिरिक्त शासन पत्र क्रमांक /616/26-2/2017 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा स्मार्ट फोन क्रय करने हेतु रुपये 3000/- प्रति कन्या के मान से राशि दी गई।



प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से अभी तक कुल 4,27,114 कन्याओं के विवाह संपन्न कराया जाकर 72416.09 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई।

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	8497.22	30,347
कुल	97450.81	72416.09	4,27,114

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 25,000/- प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभी तक कुल 10,676 कन्याओं के निकाह संपन्न कराया जाकर 1927.43 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012–2013	200.00	260.90	1,766
2013–2014	800.00	474.60	2,579
2014–2015	200.00	123.25	1,248
2015–2016	500.00	381.31	2,139
2016–2017	900.00	329.47	1,666
2017–2018	1000.00	357.90	1,278
कुल	3600.00	1927.43	10,676



मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश में दिनाक 11.10.07 से प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत ऐसे समस्त खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हो तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं हो पात्र होंगे।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार सुविधाएं/सहायता प्रदान की जा रही है :—

1. **प्रसूति सहायता** :— पंजीकृत मजदूर की पत्नी अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि तथा प्रसूति व्यय के लिये रु. 1000/- नगद राशि (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गत यह भुगतान नहीं किया जावेगा) प्रदान की जाती है। सहायता राशि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सीधे हितग्राही को उपलब्ध कराई जाती है।
2. **बीमा सहायता** :— आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राही का बीमा कराया जाता है।
3. **दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टी सहायता** :—पंजीबद्ध मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अंत्येष्टी के लिये रुपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

आम आदमी बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिनांक 2 अक्टूबर 2007 को भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए है। इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे, बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होगा।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – रु0 30,000/-
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर – रु0 37,500/-
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – रु0 75,000/- का बीमा लाभ दिया जाने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, उनकों प्रतिमाह रु0 100/- की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है।

जनश्री बीमा योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण लोग, जो मध्यप्रदेश शासन की अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये जनश्री बीमा योजना 1–1–2009 से प्रारंभ की गई है।

इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – ₹0 30,000/-
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर – ₹0 37,500/-
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – ₹0 75,000/-

का बीमा लाभ दिया जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, को प्रतिमाह ₹0 100/- की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है।

अंत्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य होने पर एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017–2018	100.00	51.46	1715

अन्त्योदय मेला (आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम)

प्रदेश में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को प्राप्त हो इस दृष्टि से समस्त जिलों में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	मेले
2017–2018	1100.00	220.19	73



कलापथक योजना

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलों में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते हैं। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

पुरस्कार योजनाएं

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8.2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक—पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे विकलांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रत व्यक्तियों, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि रूपये एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने की योजना है।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रूपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना

विभाग अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिये प्रतिवर्ष “सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार” दिया जाता है। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार के लिये रूपये 50 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2010 से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। जिसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की 16 सेवाओं को इस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7.1 सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
2	7.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
3	7.3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत		अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व		संभागायुक्त कलेक्टर
4	7.4 इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
5	7.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
6	7.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	7.7 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर- सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
8	7.8 मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
9	7.9 मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निवाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
10	7.10 निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
11	7.11 मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	7.12 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
13	7.13 निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
14	7.14 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	07 कार्य दिवस	कलेक्टर
15	7.17 मुख्यमंत्री मजदूर योजना पंजीयन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
16	7.18 मुख्यमंत्री मजदूर योजना पंजीयन का नवीनीकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

नोट :— सेवा क्रमांक 7.15 में संशोधन तथा 7.16 एवं 7.19 को विलोपित करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को लिखा गया है।

आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश की स्थापना वर्ष 1997 में की है। वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मानसेवी आयुक्त पदस्थ है।

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में निःशक्तजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जो प्रमुखतः निम्नानुसार है—

- निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों, उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का संरक्षण प्रदान करना।
- निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित मामलों / परिवादों में संज्ञान लेकर न्याय निर्णयन पारित करना।
- निःशक्तजनों के कल्याण हेतु उत्तरदायी विभागों के साथ एडव्होकेसी बैठक कर, निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों की समीक्षा कराना।
- प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल कोर्ट का आयोजन कर, निःशक्तजनों की समस्याओं / शिकायातों पर त्वरित न्याय निर्णयन करना।
- निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के तहत शासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं उपयोग किए जाने वाली निधियों की मॉनिटरिंग एवं अनुवीक्षण करना।

निःशक्तजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश के न्यायालय में 114 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए हैं। जिनमें सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।



मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं पर निम्न योजनायें संचालित हैं :—

1. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7 वीं और 8 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 200 रुपये तथा छात्राओं को 300 रुपये सालाना की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता—पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

2. स्वामी विवेकानन्द प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 300 रुपये तथा छात्राओं को 400 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता—पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

3. स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

शासकीय विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ग्यारहवीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को 550 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। छात्रवृत्ति की यह सुविधा सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवारों के छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता—पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

4. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना

उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले और छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन छात्रों को 500 रुपये प्रतिमाह और छात्राओं को 550 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है। शिष्यवृत्ति की यह सुविधा उन छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता—पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

5. डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

योजना के तहत प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय में सामान्य निर्धन छात्र एवं छात्रा को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिनके माता—पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना के तहत शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेण्टल, आयुष, कृषि, वेटनरी, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र—छात्राओं को

निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों वितरण योजना

विद्यार्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने तथा सामान्य निर्धन और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सुविधा के उद्देश्य से शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

8. वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकिल वितरण योजना

योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली ऐसी सभी बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें पढ़ाई के लिये अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाना पड़ता है। इससे छात्राओं के बीच भेदभाव समाप्त और सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

9. सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना

योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग—1 का एक पद स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाने से संस्कृत भाषा का अध्यापन सुगम हो जावेगा।

10. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

योजना के तहत दुग्ध संघों के माध्यम से मिल्क रूट्स पर 10 हजार महिलाओं को गाय दी जावेगी है। योजना में प्रत्येक महिला को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाने के साथ ही गायों की खुराक दवाईयों और उत्पादित दूध के विपणन की व्यवस्था भी की जाती है।

11. माँ सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

योजना के अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा गारंटी दिये जाने बजट प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वार्षिक आय सीमा में वृद्धि

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा में रु 54,000/- के स्थान पर रु. 1,00,000/- (एक लाख) की वृद्धि दिनांक 20.04.2016 से की गई।

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पात्रता से अधिकारिता की ओर बढ़ते कदम...



विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करते हुये, सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखते हुये, योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को 'संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' पारित किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों व सदस्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया। समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, निःशक्तजनों के साथ—साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि— पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य

- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय—समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।
- राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागरिकों की जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभ प्रदान किया जा रहा है –

- **समेकित छात्रवृत्ति (स्कूल शिक्षा विभाग)**
 - 9 विभागों की 30 प्रकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन एकीकृत प्रणाली से करने हेतु “समेकित छात्रवृत्ति योजना” तैयार।
 - 1.45 करोड़ स्कूली छात्र-छात्राओं की प्रायवेट एवं सरकारी स्कूलों के साथ मैपिंग।
 - 86.64 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृत।
 - **खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)**
 - 1.14 करोड़ परिवार व 5.34 करोड़ सदस्यों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है।
 - राशन हेतु ई-पात्रता पर्ची खाद्य सुरक्षा समग्र पोर्टल से जेनरेट।
 - **पेंशन योजना (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग)**
 - 36.61 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को रूपये 116 करोड़ से अधिक पेंशन राशि का भुगतान सिंगल विलक पेंशन योजना के तहत किया जाकर का डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में प्रतिमाह की 1 तारीख तक पेंशन का भुगतान।
 - पोर्टल पर दर्ज प्रोफाईल के अनुसार प्रथम दृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध। डेटाबेस के विश्लेषण के आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा 2.13 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ स्वीकृत किया गया।
 - ऑनलाईन निःशुल्क आवेदन की सुविधा।
 - 6 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को पात्रता के आधार पर पेंशन पोर्टल के माध्यम से कम सहायता राशि वाली पेंशन योजना से अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में Auto Switch किया गया।
-

विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन हितग्राही (जनवरी 2018 की स्थिति)

सं. क्र.	जिला	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	मानसिक बहुविकलांग को आर्थिक सहायता	मुख्यमंत्री कन्या अभियावक पेंशन योजना	कुल
1	AGAR MALWA	23212	11596	935	4010	231	257	40241
2	ALIRAJPUR	11401	7817	1696	3818	209	86	25027
3	ANUPPUR	16505	12600	1644	8365	802	529	40445
4	ASHOKNAGAR	17403	10721	786	5120	564	128	34722
5	BALAGHAT	58380	51677	1649	14837	3225	4128	133896
6	BARWANI	43829	22563	2529	7172	1829	385	78307
7	BETUL	38784	22490	2156	13305	1750	845	79330
8	BHIND	22263	12936	1256	8416	1271	659	46801
9	BHOPAL	33280	22701	2290	17240	2549	304	78364
10	BURHANPUR	20682	15873	630	3231	632	468	41516
11	CHHATARPUR	36256	14989	1965	10873	1312	1174	66569
12	CHHINDWARA	41117	34072	1795	32591	2085	1685	113345
13	DAMOH	33892	23886	1954	15080	1227	439	76478
14	DATIA	15576	9052	863	5822	762	682	32757
15	DEWAS	36732	18900	2406	8399	1393	614	68444
16	DHAR	31628	28832	3250	10225	1816	349	76100
17	DINDORI	32005	15133	1637	4853	498	656	54782
18	GUNA	32894	13271	1113	9794	886	315	58273
19	GWALIOR	16695	11703	1206	20915	1750	429	52698
20	HARDA	8176	5946	993	4118	604	126	19963
21	HOSHANGABAD	27630	19155	2981	11999	2100	1197	65062
22	INDORE	20503	15470	1308	35895	2621	664	76461
23	JABALPUR	44116	37801	4094	20779	2334	1055	110179
24	JHABUA	26695	14410	3448	4531	708	135	49927
25	KATNI	31387	23956	3872	8063	832	835	68945
26	KHANDWA	32198	19955	3158	13723	1114	467	70615
27	KHARGONE	42317	24391	2696	18169	1796	930	90299
28	MANDLA	29803	23862	3265	12651	1364	1190	72135
29	MANDSAUR	32351	24189	2984	8809	1693	751	70777
30	MORENA	22327	13307	1452	11893	1070	403	50452
31	NARSINGHPUR	42617	19483	3079	13722	1286	1385	81572
32	NEEMUCH	14917	13390	1180	6319	1222	505	37533
33	PANNA	43221	16930	1825	7279	686	1015	70956
34	RAISEN	37839	19307	3058	13030	1016	324	74574
35	RAJGARH	87792	23986	5483	18352	1506	1118	138237
36	RATLAM	38800	27773	2231	7302	824	1392	78322
37	REWA	83446	25601	3994	24681	2312	2832	142866
38	SAGR	59941	37694	2757	28375	1787	1531	132085
39	SATNA	81602	31948	8403	24182	2400	1704	150239
40	SEHORE	44148	16483	3072	20434	1991	1357	87485
41	SEONI	30839	25404	1574	13913	1990	2051	75771
42	SHAHDOL	26736	19989	3651	11429	766	505	63076
43	SHAJAPUR	28523	12802	1348	8956	790	408	52827
44	SHEOPUR	10689	8541	737	6370	316	220	26873
45	SHIVPURI	35625	21886	1572	10140	796	927	70946
46	SIDHI	39808	13890	2163	18603	1674	670	76808
47	SINGROULI	43145	11770	1829	10584	338	780	68446
48	TIKAMGARH	39112	16789	1170	19944	1032	715	78762
49	UJJAIN	43538	30393	1217	17342	2834	1585	96909
50	UMARIA	21213	10311	1845	2639	205	316	36529
51	VIDISHA	39725	19119	1042	16178	1304	797	78165
	Total	1773313	1006743	115241	654470	68102	44022	3661891

भाग - 4



सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जनवरी 2018 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :—

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
82	79	03

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त	आई.ए.एस.	1
2	संचालक, मिशन	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	18
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	44
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	2

14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नियुक्ति

वर्ष के दौरान नियुक्ति नहीं हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष के दौरान समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हुई है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2017 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	31 दिसम्बर 2017 अंत तक लंबित प्रकरण
शासन स्तर				

प्रथम श्रेणी	7	0	0	7
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	—	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	3	1	1	3
तृतीय श्रेणी	1	1	—	2
चतुर्थ श्रेणी	—	1	—	1

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2017 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
46	26	72

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	जनवरी 2018 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
46	26	34	38

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2017 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	जनवरी 2018 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरुद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत/प्रस्तावित है।	अवमान ना प्रकरणों की संख्या
6	3	1	2	3	22

मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ

वर्ष	कुल घोषणाएं	पूर्ण घोषणाओं की संख्या	लंबित घोषणाओं की संख्या
2017–18	4	1 (पूर्ण सतत)	3



वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं

1. दिव्यांग एवं वृद्धजन के सहायतार्थ मेंगा शिविर का आयोजन— जिला ग्वालियर

दिनांक 11 फरवरी, 2018 को जिला ग्वालियर में दिव्यांग व वरिष्ठजनों के लिये मेंगा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगों को सहायक उपकरण मुहैया कराने की योजना, समग्र कल्याण की दिशा में समावेशी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

इस आयोजन में एडिप योजना के तहत 119 बैटरी चलित ट्राइस्किल, 762 ट्राइस्किल, 277 व्हीलचेयर, 1236 बैशाखी, दृष्टिबाधितों के लिये 50 स्मार्ट फोन, 34 ब्रेल केन (छड़ी), 36 ब्रेल किट व 19 ब्रेल स्लेट, 30 डेजी प्लेयर, तथा बैटरी से संचालित 127 स्मार्ट केन वितरित की गई। इसके अलावा श्रवण बाधितों को 742 कान की मशीन, चलने में असमर्थ बच्चों के लिये 38 रोलेटर, मानसिक दिव्यांगों के लिये 268 एमएसआईडी किट, अस्थि बाधित दिव्यांगों के लिये 324 कैलीपर्स व प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग), कुष्ठ रोगियों के लिये 26 एडीएल किट व इतने ही सेलफोन एवं सेरीब्रिल पॉलिसी अवस्था के तीन दिव्यांगों को सीपी चेयर वितरित की गई।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों के लिये 1089 वॉकिंग स्टिक, 806 नजर के चश्मे, 250 व्हीलचेयर, 773 श्रवण यंत्र, 417 ट्राइपोड, 197 टेट्रापोड, 85 कृत्रिम दांत (बत्तीसी), 14 बैशाखी व तीन फोल्डेबल वॉकर वितरित हुए।



2. बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए 'समावेशी भारत' विषय पर आयोजित कार्यशाला – भोपाल

दिनांक 10 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए 'समावेशी भारत' विषय पर कार्यशाला प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में दिव्यांगों के कल्याण के संबंध में विशेषज्ञों और समाज सेवियों द्वारा सुझाव दिये गये। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस अवसर पर दिव्यांग बालक, बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत, विभागीय मंत्री, श्री गोपाल भार्गव, भोपाल सासंद श्री आलोक संजर समाज सेवी संगठन उपस्थित थे।



3. सिंगल विलक पेंशन वितरण योजना का शुभारम्भ एवं शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2017 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 50 वृद्धजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल विलक पेंशन वितरण योजना का शुभारम्भ किया गया। इससे 36 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लगभग रुपये 117 करोड़ से अधिक पेंशन राशि का ई-पेमेंट के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में प्रतिमाह की 1 तारिख को पेंशन जमा कराई जाती है, जिसकी सुचना उनके मोबाइल नम्बर पर दी जावेगी।



4. स्वस्थ्य एवं समर्थ वृद्धावस्था के लिए कार्यशाला

दिनांक 23 जनवरी, 2018 को आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में स्वस्थ्य एवं समर्थ वृद्धावस्था के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।



5. समर्थ कार्यक्रम

दिनांक 15 जून, 2017 को दिव्यांग कलाकारों की रचनाशीलता पर आधारित समर्थ कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया गय, जो कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, गायन, फिल्म प्रदर्शन, नाटक, वक्तव्य पर केन्द्रीत था।



6. विश्व विकलांग दिवस

प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिनांक 3 दिसम्बर, 2017 को भोपाल में आयोजित विश्व विकलांग दिवस की कुछ झलकियां निम्नानुसार हैं।



7. 2 से 8 अक्टूबर, 2017 मद्य निषेध सप्ताह

दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2017 तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम यथा— नशामुक्ति जनजागरण रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद-बिवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशामुक्ति परामर्श शिविर, मेराथन दौड़, आदि कार्यक्रम अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कराये गये।



8. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिसंबर, 2016 लागू किया गया है। प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 24 जुलाई 2017 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।



सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से **36.91 लाख** से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक **4.27 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. इस तरह सामाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, निःशक्तजन, खेतिहर मजदूर, वृद्ध, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।



निःशक्त कल्याण के अन्तर्गत शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर(बालक / बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक / बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक / बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक / बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक / बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक / बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक / बालिका)

निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र	जिला	संस्था का नाम
1	ग्वालियर	1—माधव अंध आश्रम झांसी रोड ग्वालियर 2—म०प्र० मूक बधिर कल्याण संस्थान आगे की गोठ ग्वालियर
2	शिवपुरी	3— मंगलम कोर्ट रोड शिवपुरी
3	देवास	4. म०प्र० दृष्टि कल्याण संघ इंदौर की देवास 60 केंपिंग ग्राउण्ड उज्जैन रोड देवास 5. मालवा कौसिल फॉर सोशल वर्क ६ एम०आई०जी० जवाहर नगर देवास
4	रतलाम	6. जनचेतना परिषर एवं मंद मूक बधिर विद्यालय मांटेसरी स्कूल भवन स्टेडियम के पास रतलाम
5	उज्जैन	7. उज्जयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन ३७ दुर्गा निवास माधव नगर उज्जैन
6	इंदौर	8. म०प्र० दृष्टिहीन कल्याण संघ ३३ बी०डी० किला मैदान इंदौर 9. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संगठन इंदौर 10.महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ स्किम नं. ५४ सत्यसाई स्कूल के पीछे ए०बी० रोड इंदौर
		11 गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एन०जी०ओ० तरुण पुष्कर के पास इंदौर 12. मूक बधिर संगठन स्किम नंबर ७१ सेक्टर की रणजीज हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर
		13. विकलांग कल्याण संघ एम०आर० १० चन्द्रगुप्ता चौराहा इंदौर 14. रोटरी पाल हेरि स्कूल स्किम नंबर ५४ नर्मदा टंकी के पास इंदौर
		15. मूक बधिर विद्यालय एवं अंध शालाये ८४ / ८४५ जीवन दास कांलोनी इंदौर 16. महात्मा गांधी संस्थान बंगाली क्लब के पास बाल भवन इंदौर
		17. कुष्ठ सेवा संस्थान नंदा नगर इंदौर
7	धार	18. जिला रेडकास सोसायटी धार
8	झाबुआ	19. करुणा सदन रामपुर, विकास खण्ड रानीपुर जिला झाबुआ 20. चन्द्र शेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र भावरा जिला झाबुआ
9	बड़वानी	21. श्री कांता विकलांग ट्रस्ट झाकर पोस्ट निवाली जिला बड़वानी
		22. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बड़वानी
10	खण्डवा	23. श्रीमती सावत्रीबाई झंवर, सेवा न्यास खण्डवा
11	भोपाल	24. मेरियम सोसायटी फॉर द हियरिंग हैण्डीकैप्ड ई-६ अरेरा कांलोनी भोपाल 25. मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड ई-६ अरेरा कांलोनी भोपाल

		26. दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 हास्पिटल के पास भोपाल
		27. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा 2–4, 16 सांकेत नगर भोपाल
		28 दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान बी-292 समर्पण हास्पिटल के पास शाहपुरा भोपाल
		29. शुभम, विकलांग एवं समाज सेवा समिति मकान नंबर 11 नशेमन कम्पाउण्ड पैलेस रोड भोपाल
		30. साई विकलांग अनाथ सेवा आश्रम, एवं प्रशिक्षण छात्रावास सी.टी.ओ. बैरागढ भोपाल
		31. महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम बैरागढ भोपाल
		32. नवजात विकलांगजन कल्याण समिति एम0आई0जी0 318 न्यू सुभाष नगर भोपाल
12	विदिशा	33. सूरज निकेतन स्कूल एवं छात्रावास 88 नीमताल रोड शरण भवन विदिशा
13	बैतूल	34. दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पांढर जिला बैतूल
14	छतरपुर	35. प्रगतिशील विकलांग संसार छतरपुर
15	दमोह	36. अनंत विकलांग सेवा समिति दमोह
16	जबलपुर	37. विकलांग सेवा भारती, 321 तिलक वार्ड गलगला बैनर्जी भवन जबलपुर
		38. स्नेह निकेतन, जबलपुर स्कूल पोस्ट बाक्स स्कूल 43 गौरखपर थाने के पास जबलपुर
17	सिवनी	39. आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन, 116 वल्लभ भाई पटेल, झूँडा सिवनी
18	रीवा	40. नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय बिछिया तौपखाना रोड रीवा
19	सीधी	41. गुरुकूल संस्कूल समिति सॉई निवास जिला सीधी

**निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता
प्राप्त संचालित संस्थाओं की जानकारी**

क्र.	जिला	क्र.	संस्था का नाम
1	मुरैना	1	शारदा श्रवण एवं मानसिक विकलांग विद्यालय अम्बाह
2	भिण्ड	2	महिला बाल विकास समिति
		3	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति मेहगांव
3	ग्वालियर	4	आत्म ज्योति आवासी दृष्टिहीन कन्या विद्यालय
		5	रमन शिक्षा समिति
		6	जगन मैमोरियल सर्व सेवा समिति
4	शिवपुरी	7	संस्था मंगलम शिवपुरी
5	गुना	8	मन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एण्ड नेट वर्किंग सोसायटी फॉर मेंटली इन एण्ड डिसेएवलडपर्सन
6	दतिया	9	अजय मैमोरियल चेरिटबल ट्रस्ट अनामय आश्रम दतिया
		10	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड दतिया
		11	संस्कार सोशल वेलफेयर सोसायटी दतिया
7	देवास	12	मालवा कौसिल फॉर सोशल वर्क देवास
8	इंदौर	13	संस्था संवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र महू इंदौर
			अशासकीय संस्था—संकल्प पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था समिति द्वारा संचालित—‘ सूरज निकेतन स्कूल एवं प्रशिक्षणसंस्था
			स्वै. संस्था युग पुरुषधाम बौद्धिक विकास केन्द्र इंदौर मानसिक रूप से अविकवित बच्चों के लिये डे केयर सेंटर
9	खरगौन	14	ज्योतिर्मय सेवा समिति बडवाह
		15	मॉ. ऊँ. नर्मदा सेवा समिति बडवाह
10	खण्डवा	16	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
		17	स्वयं सिद्ध शिक्षण समिति खण्डवा
11	भोपाल	18	अरुषि सोसायटी द्वारा संचालित टोलफी हेल्पलाईन भोपाल
		19	निर्मल माता सोसायटी द्वारा संचालित सालोम स्पेशल फार द मेन्टली हेन्डी केप्ट जे.एन. सिटी रोड लाम्बाखेडा भोपाल
		20	सेन्ट मर्था सोसायटी द्वारा संचालित आशा दीपम स्पेशल स्कूल फार द मेन्टली चेलेच्च गेहूखेडा बैरागढ चिचली कोलार रोड
		21	उमंग गोरव दीप वेलफेयर सोसायटी 111, अराधना नगर कोटरा भोपाल
		22	प्रभा सेवा संघ द्वारा संचालित स्वावलंबन स्कूल फार

क्र.	जिला	क्र.	संस्था का नाम
			एम.आर.एच.आई. जी बी 47 विद्यानगर सेक्टर सी होशंगाबाद रोड भोपाल
		23	केर्यस वेलफेयर सोसायटी भोपाल द्वारा संचालित उमंग स्पेशल स्कूल फार एम.आर.एच.आई.
12	राजगढ़	24	प्रेम प्रगति विशेष विद्यालय
13	विदिशा	25	राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति
	होशंगाबाद	26	सांई विकलांग मा.प्र. छात्रावास अनाथ सेवा आश्रम मालाखेड़ी
		27	न्यू शिवम् व्यवसायिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित मातृछाया मूक बधिर बच्चों का विशेष स्कूल / छात्रावास
		28	डॉ. एनीबिसेन्ट मानसिक निःशक्त स्कूल / छात्रावास
		29	संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित (दृष्टिबाधित) विद्यालय
		30	भविष्य मानसिक निःशक्त विशेष विद्यालय
	कटनी	31	स्वावलंबन विकलांग पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान
		32	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी
		33	कर्मयोग समिति सावरकर वार्ड नई बस्ती कटनी
16	नरसिंहपुर	34	महर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
	छिंदवाड़ा	35	आधार फाउण्डेशन परासिया रोड
		36	शुभम निःशक्त तकनीकी विद्यालय
18	सिंगरौली	37	जय माँ कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय,
	सतना	38	तुलसी प्रज्ञा चक्षु एवं मूक बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट सतना
		39	स्नेह सदन सोशल वेलफेयर सोसायटी पतेरी सतना

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे-केयर सेंटर

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
1	भोपाल	1	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई-4 / 10, अरेरा कालोनी, भोपाल
		2	श्रद्धेय वरिष्ठ जन कल्याण समिति, म0नं0 81, सर्वधर्म सी—सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल
		3	चित्रांश ह्युमन एण्ड वेलफेयर सोसायटी मकान नं0 16, श्री नगर कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल
		4	सरल श्री जन कल्याण समिति, ग्राम कुल्होर तह. बैरसिया भोपाल
2	सीहोर	5	नगर पालिका परिषद, सीहोर
3	राजगढ	6	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट जिला राजगढ
4	रायसेन	7	सियावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था, बेगमगंज, जिला रायसेन
		8	आर.डी.एस.एस., सिलवानी
		9	जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समिति, वार्ड क्र0 11 म.नं. 34, कन्या शाला के पीछे, पटेल नगर जिला रायसेन
5	हरदा	10	पहल सामाजिक संस्था, टिमरनी, जिला हरदा द्वारा नगरीय निकाय हरदा एवं टिमरनी में संचालन
6	होशंगाबाद	11	श्री मैकलसुता शिक्षा समिति द्वारा संचालित “वृद्धजन डे केयर सेंटर” संजय नगर ग्वालटोली, जिला होशंगाबाद
		12	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां जनपद पंचायत बाबई
		13	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सुआखेड़ी जनपद पंचायत बाबई
		14	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत शुक्करवाडा फार्म जनपद पंचायत बाबई
		15	महोदव सुन्दरम, न्यास कालोनी, इटारसी, द्वारा संचालित वृद्धजन ग्राम पंचायत मेहरागांव तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
		16	सरपंच ग्राम पंचायत सिंगानामा, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सिंगानामा जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद
		17	सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नांदिया जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद
		18	सरपंच ग्राम पंचायत छीतापुरा, जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		19	सरपंच ग्राम पंचायत चौकीपुरा (सुखतवा) जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		20	स्व0 नर्मदाप्रसाद दुबे नशामुक्ति केन्द्र द्वारा संचालित ग्राम पंचा. पवारखेडा जन0पंचा0 होशंगाबाद
		21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पिपरिया, होशंगाबाद
		22	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र सिवनी मालवा द्वारा संचालित वृद्धजन डे—केयर सेंटर
		23	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र बानापुरा

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
			(सिवनी मालवा) द्वारा संचालित वृद्धजन डे—कैयर सेंटर
		24	सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर, जनपद पंचायत सिवनी मालवा
7	विदिशा	25	ज्ञान सरोवर शिक्षा समिति, शेरपुरा जिला विदिशा
8	ग्वालियर	26	वरिष्ठ नागरिक संस्थान ग्वालियर द्वारा संचालित "कस्तूरबा गांधी विश्रांति भवन न्यास, ग्वालियर
9	गुना	27	श्री साईनाथ सेवा सदन समिति नानाखेड़ी गुना
10	अशोकनगर	28	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट फीड शाखा अशोकनगर
11	शिवपुरी	29	अशा.संस्था मंगलम—शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
		30	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जिला शिवपुरी
		31	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट "फीड" गांधी कालोनी, म0नं0 99, शिवपुरी
12	दतिया	32	बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया द्वारा दतिया में संचालित
13	भिण्ड	33	निराश्रित निधि से संचालित
14	मुरैना	34	वरिष्ठ नागरिक सह पेशन संघ, मुरैना
		35	ईश्वर सिंह शिक्षा प्रसार समिति, किशोरगढ़, जिला मुरैना
15	श्योपुर	36	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, श्योपुर
16	इंदौर	37	नगर निगम, इंदौर
		38	ग्रामीण उद्यमिता एवं जनकल्याण समिति, विसनावत, इंदौर
		39	सनातन चेरेटेबिल टर्स्ट इंदौर
		40	"अमराई" वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ, ई, एफ-2, स्कीम नं0 54, पॉवर हाऊस के सामने, जिला इंदौर
17	खरगौन	41	नगर पालिका खरगोन
		42	नगर पालिका सनावद
		43	नगर पालिका बड़वाह
18	खंडवा	44	आस्था वेलफेयर सोसायटी, स्टेशन रोड, खंडवा (ज.प.)
		45	सोसायटी फार मैक्रिसमाइजिंग एग्रीकल्चर एवं रुरल टेक्नालाजी, खंडवा (शहरी क्षेत्र में)
		46	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर बलडी (किल्लौद))
		47	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर हरसूद)
		48	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर खालवा)
		49	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर पुनासा)
		50	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर छैगांवमाखन)
		51	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0प0 स्तर पंधाना)

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
		52	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खण्डवा)
19	झाबुआ	53	नगर पालिका—झाबुआ वृद्धाश्रम मंगल भवन, जिला झाबुआ
20	उज्जैन	54	अपंग सेवाश्रम महाकाल घाटी उज्जैन
		55	सहस्र औदिच्य समाज वरिष्ठजन समिति, के-7, एम0आई0जी0 ऋषिनगर, उज्जैन
21	रतलाम	56	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम वार्ड नं.14 सा. भवन
22	देवास	57	वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास
23	मंदसौर	58	सेवा निवृत्त एवं पेशनर महासंघ, जिला मंदसौर
		59	ग्राम बालागुडा, जनपद पंचायत मल्हारगढ
24	जबलपुर	60	वरिष्ठ सेवा केन्द्र डे केयर सेंटर छावनी मंडल केंट द्वारा संचालित “छावनी परिषद् जिला जबलपुर”
		61	पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन नेपियर टाउन जबलपुर
25	सिवनी	62	नगर पालिका परिषद् जिला सिवनी
26	छिंदवाडा	63	नगर पालिका परिषद्, छिंदवाडा
27	नरसिंहपुर	64	नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर
28	डिण्डोरी	65	मु.न.पा.अधिकारी नगर परिषद् डिण्डोरी “ज्ञानोदय वाचनालय भवन”
29	सागर	66	आनंद आश्रम सागर
		67	रंगखोज परिषद् सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, सागर
30	छतरपुर	68	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका छतरपुर
		69	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खजुराहो
31	टीकमगढ़	70	भारतीय रेडकास सोसॉयटी, टीकमगढ़ द्वारा संचालित
32	रीवा	71	भारतीय रेडकास सोसॉयटी, रीवा
		72	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा
33	सिंगरौली	73	जय मौ कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली
34	उमरिया	74	नगर पंचायत—चांदिया
		75	नगर पालिका पाली
		76	नगर पालिका उमरिया
35	सीधी	77	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सीधी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र0 02 सीधी के बगल में
36	पन्ना	78	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद्, पन्ना
37	आगर	79	मध्यप्रदेश पेशनर एसोसियेशन जिला आगर (मालवा)
38	बुरहानपुर	80	नगर पालिका निगम बुरहानपुर
39	मंडला	81	नगर पालिका परिषद् मंडला
40	दमोह	82	अशा. संस्था—वीणा शिक्षण समिति दमोह
		83	अशा. संस्था—निर्मल सोशल एजूकेशनल हेल्थ एवं इको फेण्डली सोसायटी सागर
41	बालाघाट	84	नगर पालिका बालाघाट द्वारा संचालित
42	बैतूल	85	आर्यपुरा टिकारी वरिष्ठ नागरिक संगठन जिला बैतूल

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	1	गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वृद्धाश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल "आसरा"वृद्धजन सेवा केन्द्र
		2	सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल,नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं0-2, "आनंदधाम वृद्धाश्रम"
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशाप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4	श्री विवेकानंद धर्माथ न्यास द्वारा संचालित 'संत आरोग्य धाम विवेकानंद नगर, रजत नगर के पीछे, सोनागिरी, भोपाल
		5	अपना घर वृद्धश्रम, बी-4-79, आई०आई०टी० कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०)
		6	ऑल पिपुल्स डेव्हलपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मकान नं० -75-76 / 3 / 1, हनुमान नगर, जाटखेडी, दिव्यवाणी परिसर, पो०आ० मिसरोद, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म०प्र०)
2	होशंगाबाद	7	मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, बस स्टेण्ड, पिपरिया – जिला होशंगाबाद
		8	अशा.संस्था न्यू शिवम व्यवसायिक प्रशिक्षण युवती मंडल द्वारा संचालित "आसरा वृद्धाश्रम" वान्या ढावा के सामने बुधनी रोड, जिला होशंगाबाद
		9	महोदव सुन्दरम जनकल्याण शिक्षण समिति, मुस्कान परिसर, न्यास कालोनी, श्रीजी कृपा गऊशाला, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म०प्र०)
3	राजगढ़	10	अशा.संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र "आशाधाम वृद्धाश्रम" जिला राजगढ़ (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
4	रायसेन	11	अशा.संस्था आर.डी.एस.एस.,सिलवानी द्वारा संचालित महात्मा गांधी वृद्धाश्रम, जिला रायसेन
5	बैतूल	12	अशा.संस्था विशाल सतपुडा उत्थान समिति द्वारा संचालित "मातोश्री शिशु-वृद्धजन सेवाधाम" ग्राम उडदन, पोर्ट बाक्स नं. 27-भारत भारती जिला— बैतूल
6	विदिशा	13	अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित "श्री हरि वृद्धाश्रम" स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो-रूम के पास, जिला विदिशा (केन्द्रीय अनुदान)
7	हरदा	14	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय वृद्धाश्रम भवन जिला पंचायत के सामने, जिला हरदा
8	सीहोर	15	अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित संकल्प वृद्धाश्रम जिला सीहोर
9	ग्वालियर	16	अशा.संस्था आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोतीलाल मिल, बिरलानगर, जिला ग्वालियर
		17	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर , लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		18	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के-48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
		19	वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, लक्ष्मीबाई कालोनी,पड़ाव, जिला ग्वालियर
		20	सरस्वती शवितपीठ शिक्षा समिति, 59, विवेक नगर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर
10	श्योपुर	21	अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर
		22	अशा०संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड इन्वायरमेंट, एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) विजयपुर, जिला श्योपुर
11	गुना	23	अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, "अपना घर वृद्धाश्रम, नानाखेडी, जिला— गुना

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
12	भिण्ड	24	अशा० संस्था— मोलीक्युलर वेलफेर सोसायटी, गली नं० 2 जमना रोड, जिला भिण्ड (मुख्यालय के—48 गांधी नगर जिला ग्वालियर द्वारा संचालित)
		25	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह० लहार, जिला भिण्ड
		26	श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड
		27	गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
13	शिवपुरी	28	अशा.संस्था मंगलम—शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
14	मुरैना	29	कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
15	अशोकनगर	30	अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड, मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
16	इन्दौर	31	अशा०संस्था कल्याण मित्र समिति (आस्था वृद्धाश्रम) समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिली इन्दौर
		32	अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान (केन्द्रीय अनुदान से संचालित) जिला इंदौर
		33	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर
		34	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर
	झाबुआ	35	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, रंगपुरा, जिला झाबुआ
18	अलीराजपुर	36	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संचालित नगरीय क्षेत्रीय वृद्धाश्रम अलीराजपुर
19	धार	37	भारतीय रेडकास सोसायटी—धार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, इंदौर नाका, जिला धार
20	बुरहानपुर	38	अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जिला बुरहानपुर
21	खरगौन	39	आनंद बसेरा वृद्धाश्रम, नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन
		40	आशा निकेतन वृद्धाश्रम, खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन, म०प्र०
	बडवानी	41	भारतीय रेडकास सोसायटी, जिला बडवानी
23	खण्डवा	42	अशा.संस्था श्री वैष्णव वृद्धाश्रम आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर में संचालित वृद्धाश्रम जिला— खण्डवा,
		43	आस्था वेलफेर सोसायटी, 222 स्टेशन रोड, इन्द्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, खण्डवा
	उज्जैन	44	अशा.संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, “सेवाधाम वृद्धाश्रम” ग्राम अम्बोदिया तह० घटिया, जिला— उज्जैन
25	मंदसौर	45	भारतीय रेडकास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम— रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
26	देवास	46	जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित “बसेरा वृद्धाश्रम” राजोदा रोड, जिला देवास मध्यप्रदेश।
27	रतलाम	47	भारतीय रेडकास सोसायटी, बिरयाखेडी जिला रतलाम
28	नीमच	48	भारतीय रेडकास सोसायटी, नीमच
29	सागर	49	भारतीय रेडकास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित “आनंद वृद्धाश्रम” खुरई जिला सागर, म०प्र०
		50	गोपाल सेवा वृद्धाश्रम, गढ़ाकोटा, जिला सागर देव सर्वोदय समिति, वल्लभ नगर वार्ड, जिला सागर द्वारा संचालित
		51	जनपद पंचायत रहली जिला सागर
		52	भारत भारती शोध संस्थान, रजौआ, तहसील सागर, जिला सागर
30	दमोह	53	भारतीय रेडकास सोसायटी, दमोह
		54	सचेतन विकास समिति, 486 ब्यौहार बाग, जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
			जबलपुर शाखा स्व० शोभालाल पटेरिया वृद्धाश्रम, ग्राम हटरी, जिला दमोह
31	छतरपुर	55	अशा.संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		56	अशा.संस्था—मां भगवती महिला मंडल, घुवारा, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर
32	टीकमगढ़	57	अशा० संस्था— आर०एस० शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित “श्री रामराजा वृद्धाश्रम” लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, जिला टीकमगढ़
33	पन्ना	58	भारतीय रेडकास सोसायटी, जिला पन्ना
		59	श्री राम असहायजन चेरिटेबिल सोसॉयटी, वार्ड क्रमांक 4, कोठी, अजयगढ़, जिला पन्ना
34	जबलपुर	60	भारतीय रेडकास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
		61	मिशनरीश ऑफ चारिटी मदर टेरेसास आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉच्डर, जबलपुर 482001
35	छिन्दवाडा	62	नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित ‘गोधुली वृद्धाश्रम’ लोनियाकरबल, जिला छिन्दवाडा
36	मण्डला	63	भारतीय रेडकास सोसायटी, जिला मण्डला
37	डिण्डौरी	64	भारतीय रेडकास सोसायटी, जिला डिण्डौरी
38	नरसिंहपुर	65	आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, “जगतगुरु शंकराचार्य वृद्धाश्रम” झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला—नरसिंहपुर
39	कटनी	66	अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी “बच्चन नायक वृद्धाश्रम, ग्राम कछगांव, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी
40	बालाघाट	67	सहारा वृद्धाश्रम, जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं० 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
41	सिवनी	68	अशा.संस्था नूतन महिला कल्याण समिति, काली चौक जिला सिवनी
42	रीवा	69	अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगांव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
43		70	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, पुनर्वास भवन, सिविल लाइन, झिरिया, जिला—रीवा
44	सीधी	71	गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, गोपालदास आश्रम, मणिकूट सीधी, जिला— सीधी
45	सतना	72	प्रमोदवन अनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना वृद्धाश्रम
		73	मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, मैहर, जिला—सतना
		74	“चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम” डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		75	शिव शक्ति शिक्षा समिति, गंजास, ज०प० रामनगर जिला सतना
		76	विनायक एजुकेशन सोसायटी, पौराणिकटोला, सिविल लाइन, जिला सतना
		77	दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोस्ट देवरा, ज.प. मझगांव, सतना
46	शहडोल	78	अशा.संस्था—भारत विकास परिषद, कल्याणपुर, जिला शहडोल
47	सिंगरौली	79	जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, वि०खंड० देवसर, जिला सिंगरौली
48	अनुपपुर	80	कल्याण वृद्धाश्रम ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनुपपुर द्वारा संचालित सोनांचल सेवा समिति (वर्तमान में शासन द्वारा संचालित)

**भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त
संचालित संस्थाएँ**

नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों (IRCA) की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र का नाम
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर “आर्शीवाद नशामुक्ति” केन्द्र मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन “जागृति नशामुक्ति केन्द्र” नगर निगम कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्रीगंज, उज्जैन
3	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
4	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र “यशोदा कुंज” कस्बा सीहोर जिला सीहोर
5	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल “नव ज्योति नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र” 11 ए अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
6	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
7	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् पुराना पावर हाउस के पास पन्ना जिला पन्ना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
8	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा बरघाट जिला सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
9	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 सॉची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा (नशामुक्ति केन्द्र विदिशा)
10	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
11	खण्डवा	सोसायटी फार मेर्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रुरल टेक्नोलाजी खण्डवा (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
12	जबलपुर	सदभाव मिशन समिति जबलपुर, सदभाव नशामुक्ति केन्द्र जे.डी.ए. बिल्डिंग शांति नगर दमोह नाका जबलपुर
13	रीवा	निवेदिता समाज कल्याण समिति रीवा निवेदिता नशामुक्ति केन्द्र सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवा जिला रीवा
14	सीधी	अभिव्यक्ति कला विकास समिति सीधी “अभिव्यक्ति नशामुक्ति केन्द्र” मडवास रोड टी०सी०पी०सी० के पीछे केदार शुक्ला आवास रोड सीधी जिला सीधी
15	ग्वालियर	गुरुतेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर, नवजीवन नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र अर्नेंजा भवन, नौगजा रोड, शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर
16	ग्वालियर	असीम ज्योति सांस्कृतिक शिक्षा परिषद् ग्वालियर आर.एन.नशामुक्ति केन्द्र किरार प्लाजा रुद्र मार्केट के पास फोर्ट रोड ग्वालियर

संपर्क सूत्र:

श्री अशोक शाह (आई.ए.एस.)

प्रमुख सचिव सह आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय
1250, तुलसी नगर भोपाल, म.प्र.।
फोन नम्बर: 0755—2556916
ई—मेल आई.डी.: dpswbpl@nic.in

श्री बी. चन्द्रशेखर (आई.ए.एस.)

मिशन संचालक,
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसी नगर भोपाल, म.प्र.।
फोन नम्बर: 0755—2558391
ई—मेल आई.डी.: md.samagra@mp.gov.in





संचालनालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी

क्र.	नाम	पदनाम	संपर्क सूत्र	ई—मेल
1.	सुश्री रजनी शुक्ला	संयुक्त संचालक, (वित्त)	0755—2556700 मो. 9425109447	dpswbpl@nic.in
2.	श्री मनोज बाथम	उप संचालक, (सामाजिक सहायता)	0755—2550895 मो. 9425660832	manojbatham.sj@mp.gov.in
3.	श्रीमती विमला राय	उप संचालक, (आहरण संवितरण अधिकारी)	0755—2558576 मो. 9424086117	vimla.rai@mp.gov.in
4.	श्री आलोक शर्मा	उप संचालक, (सुधारात्मक सेवाएं)	0755—2574938 मो. 9303107667	aloksharma.sj@mp.gov.in
5.	सुश्री संध्या आंयगर	उप—संचालक, (नि.क. / सामान्य)	0755—2558834 मो. 9425365447	siyengar.sj@mp.gov.in
7.	श्रीमती सुरभि तिवारी	उप संचालक (प्रशा. / न्यायलय)	0755—2576325 मो. 8889609355	dpswbpl@nic.in
8.	श्री अरुण जोशी	सहायक संचालक	मो. 9893542347	joshi.arun@mp.gov.in
9.	श्री दीपक चौरसे	सहायक संचालक	मो. 9993158125	deepak.chourse@mp.gov.in
10.	श्री बलवान शाह उइके	सहायक संचालक	मो. 9893809245	bs.uikey@mp.gov.in
11.	श्री सुनील शर्मा	सहायक संचालक	मो. 9752405244	dpswbpl@nic.in
12.	श्री बी.एल.कौल	कलापथक अधिकारी	मो. 9111341708	biharilal.kol@mp.gov.in
13	श्री महेन्द्र त्यागी	प्रोग्रामर	0755—2555700 मो. 9200545637	mahendra.tyagi@mp.gov.in
14	श्री सुमित ब्रह्मैया	प्रबंधक, लोकसेवा	0755—2558396 9752395999	Sumit.bramhaiya@mp.gov.in
15	कु. निरुपमा जोशी	सहायक प्रोग्रामर	0755—2555700	mdcmssm@gmail.com
14	श्री लक्ष्मण कहार	समग्र संयोजक	9424448050	laxman.kahar@mp.gov.in
15	श्री गोपाल दांगी	समग्र संयोजक	9425024738	gopal.dangi@mp.gov.in

जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाइल	ईमेल	समग्र संयोजक	मोबाइल
1.	भोपाल	श्री मनोज तिवारी	0755	2540865	9425021526	pswbho@mp.nic.in,	श्री पंकज विश्वकर्मा	9993312182
2.	सीहोर	श्री संजय लक्केवार प्रभारी	07562	227039	9425016144	pswseh@mp.nic.in,	श्री कृपाल शंकर	9752247412
3.	रायसेन	श्री पंकज जैन, AddCEO,ZP	07482	222052	7987351217	pswrai@mp.nic.in,	श्री नजीम अली	9302807241
4.	राजगढ़	श्री नवीन धुर्वे, प्रभारी	07372	255259	8989156750	pswraj@mp.nic.in,	श्री बालचन्द्र राठौर	9617647552
5.	विदिशा	डॉ. पी.के. मिश्रा प्रभारी	07592	234272	9407256836	ddsjvid@mp.gov.in,	श्री संजय कुमार	9993966443
6.	होशंगाबाद	श्रीमती प्रभिला वार्डकर	07574	252283	9425688379	pswhos@mp.nic.in,	श्री अमित चौरे	8982672712
7.	बैतूल	श्री कमलेश सिंह प्रभारी	07141	234368	9424429944	ddsjbt@gmail.com,		
8.	हरदा	श्री सुभाष शर्मा AddCEO,ZP	07577	225193	9993192731	pswhar@mp.nic.in,	श्री अभिषेक साहू	9039816868
9.	इन्दौर	श्री बी.सी. जैन प्रभारी	0731	2367214	9893320081	pswind@mp.nic.in,	श्री गिरधारीलाल	9977271522
10.	धार	श्री राजेश शाक्य AddCEO,ZP	07292	235810	9993925393	ddsjdhar@gmail.com,	श्री दिनेश चौधरी	9993679457
11.	खरगोन	श्री आर.के. सिंह	07282	235019	9425459152	pswkhr@mp.nic.in,	श्री विकास जोशी	9977933588
12.	खण्डवा	श्री के.के.नागराज AddCEO,ZP	0733	2223229	8989694032	pswkhd@mp.nic.in,	श्री बाबू पचौरे	9424524999
13.	बड़वानी	श्री एस.एस.मंडलोई प्रभारी	07290	222801	9425436606	pswbar@mp.nic.in,	श्री नागर	9993348348
14.	बुरहानपुर	श्री बृजेश पटेल AddCEO,ZP	07325	242158	9425064030	ddsw_bpr@rediffmail	श्री विजय	9754945322
15.	झाबुआ	श्री सैयद अशफक प्रभारी	07392	244285	9425948788	pswjha@mp.nic.in,		
16.	अलीराजपुर	श्री मगनसिंह कनेश प्रभारी			9826444657	ceozp.alirajpur@gmail.com	श्री मोइनुद्दीनशेख	9893426352
17.	उज्जैन	श्री सी.एल. पंथारी	0734	2510515	8878163784	pswujj@mp.nic.in,	श्री अनिल शर्मा	8656837783
18.	देवास	श्री राजेश कामदार	07272	254928	9893789406	pswdew@mp.nic.in,		
19.	शाजापुर	श्री एच.एल.वर्मा AddCEO,ZP	07364	226783	9425038653	pswshj@mp.nic.in,	श्री नरेन्द्र तिवारी	9827809595
20.	रतलाम	श्री दिनेश वर्मा AddCEO,ZP	07412	270428	9425438193	ddsjrat@mp.gov.in,	श्री जयंत सेठिया	9009923588
21.	मंदसौर	डॉ. जे.के.जैन	07422	235203	9826458277	pswmas@mp.nic.in,	श्री मनोहर प्रजापति	9617977184
22.	नीमच	श्री अरविंद सिंह माहोर	07423	257053	9958061190	psjnlee@mp.gov.in,	श्री डामचन्द्र पाटीदार	9981069696
23.	आगर मा.	श्री साकेत मालवीय SDM			9868324011	ddsj.agar@mp.gov.in,		
24.	खालियर	श्री राजीव सिंह	0751	2346967	9425136317	pswgwa@mp.nic.in,	श्री मनीष कौशिक	9617807700
25.	शिवपुरी	श्री विमेन्द्र गुप्ता AddCEO,ZP	07492	233640	9754567675	pswshi@mp.nic.in,	श्री पवन शर्मा	9425748281
26.	गुना	श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी	07542	252202	7415368842	pswgun@mp.nic.in,		
27.	दतिया	श्री धनंजय मिश्रा AddCEO,ZP	07522	237259	9425831886	ddsjdatia@gmail.com,	श्री नरेन्द्र दुबे	9584918102
28.	मुरैना	श्री राजन बीनाडिया प्रभारी	07532	226990	8319582044	pswmor@mp.nic.in,	श्री दिनेश कंषाना	9993416688
29.	भिण्ड	श्री प्रमोद परिहार	07534	242568	8319781449	ddpbhind.123@gmail.com,	श्री प्रमोद परिहार	9770448474
30.	श्योपुर	श्री सुमित भद्रौरिया	07530	220572	7415368842	sj.sheopur@mp.gov.in		
31.	अशोकनगर	श्री विशाल सिंह AddCEO,ZP	07543	222461	9109448034	ddpashoknagar@gmail.com,		
32.	सागर	श्री मंजू खरे, AddCEO,ZP	07582	223524	9425140790	pswsag@mp.nic.in,	श्री अमित नेमा	9303006700
33.	दमोह	श्री सी.पी. पटेल SDM	07812	222687	9826451977	pswdam@mp.nic.in,	श्री विनित नामदेव	7415414234
34.	पन्ना	श्री अशोक चतुर्वेदी AddCEO,ZP	07732	252058	9424672972	pswpn@mp.nic.in,	श्री अबूबकर मोहम्मद	8878096363
35.	छतरपुर	श्री ए.पी. खरे	07682	246517	9425145310	ddpcchhatarpur@gmail.com,		
36.	टीकमगढ़	श्री आर. के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@mp.nic.in,	श्री मनीष सेन	9630836500
37.	जबलपुर	श्री एम.एस. मरकाम	0761	2625256	8120604766	pswjab@mp.nic.in,	श्री कैलाश पटेल	9425647040
38.	नरसिंहपुर	श्री प्रभात उड़िके	07792	230412	9425490858	pswnar@mp.nic.in,	श्री छत्रपाल मेहरा	9424303587
39.	छिन्दवाडा	श्री अनुराग मोदी प्रभारी	07162	243426	9424355204	pswchi@mp.nic.in,	श्री मोहनीष कहार	8109409188
40.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in,	श्री अभिषेक कुमार	9827997941
41.	मण्डला	श्री अनिल कोचर AddCEO,ZP	07642	223560	8889472972	pswmal@mp.nic.in,		
42.	बालाघाट	श्री एस.व्ही. बघेल	07632	240281	9425827851	pswbal-mp@mp.nic.in,	श्री लक्ष्मीचन्द्र बहेश्वर	9713675365
43.	डिण्डोरी	श्री दिलीप मंडवी �ADM	07644	234841	7693074249	pswdin@mp.nic.in,	श्री राहुल शर्मा	942585475
44.	कटनी	श्री दीपक सिंह DIFO	07622	221250	7470705111	pswkat@mp.nic.in,	श्री अमित	9753667762
45.	रीवा	श्रीमती सुचिता तिकी	07662	254095	9893860721	psrew@mp.nic.in,	श्री मिंगेन्द्र	9755137444
46.	सतना	श्री दयाशंकर	07672	224391	9406931575	ddjsjsatna@gmail.com,		
47.	सीधी	श्री अरविन्द कुमार झा	07822	250282	7580862234	pswsid@mp.nic.in,	श्री राजेश कुमार	9425161496
48.	सिंगरोली	श्री डी.एस. राठौर AddCEO,ZP			9009304955	ceozpsingrauli@gmail.com,		
49.	शहडोल	श्रीजी.एस.टेकाम AddCEO,ZP	07652	245209	9131381850	pswshd@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद तस्वीन	9754945322
50.	उमरिया	श्री अवधेश सिंह AddCEO,ZP	07653	223027	9179640022	ddsjuma@gmail.com,	श्री राजाराम अहिरवा	9617524184
51.	अनूपपुर	श्री आर.पी. त्रिपाठी प्रभारी	07659	222699	9685652035	psjanu@mp.gov.in,	श्री स्वतंत्र केशवानी	9685652035

दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के अन्तर्गत निशकता के 21 प्रकार एवं उनके पहचान के लक्षण

1. मानसिक मंदता (Mental Retardation)	2. ऑटिज्म (Autism Spectrum Disorder)	3. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)/योलिया/नर्व इंज
<ul style="list-style-type: none"> • समझने/बोलने में कठिनाई • अभियाकृत करने में कठिनाई 	<ul style="list-style-type: none"> • किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई • आँखे मिलाकर बात न कर पाना • गुमसुम रहना 	<ul style="list-style-type: none"> • पैरों में जकड़न • चलने में कठिनाई • हाथ से काम करने में कठिनाई 
4. मानसिक रोगी (Mental Illness)	5. श्रवण वाधित (Hearing Impairment)	6. मूक निःशक्ता (Speech Impairment)
<ul style="list-style-type: none"> • अस्वाभाविक व्यवहार • खुद से बाते करना • प्रम जाल • मतिप्रभ्रम • व्यसन (नशे का आदि) • किसी से डर/भय • गुमसुम रहना 	<ul style="list-style-type: none"> • बहरापन • ऊंचा सुनना या कम सुनना 	<ul style="list-style-type: none"> • बोलने में कठिनाई • सामान्य बोली से अलग बोलना • जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते 
7. दृष्टि वाधित (Blindness)	8. अल्प दृष्टि (Low-Vision)	9. चलन निःशक्ता (Locomotor Disability)
<ul style="list-style-type: none"> • देखने में कठिनाई • पूर्ण दृष्टिहीन 	<ul style="list-style-type: none"> • कम दिखना (60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना) 	<ul style="list-style-type: none"> • हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्ता • लकवा • हाथ या पैर कट जाना 
10. कुछ रोग से मुक्त (Leprosy-Cured)	11. बीनापन (Dwarfism)	12. तेजाब हमला पीड़ित (Acid Attack Victim)
<ul style="list-style-type: none"> • हाथ या पैर या अंगुलिया में विकृति • शरीर की त्वचा पर रंगहीन घब्बे • हाथ या पैर या अंगुलियां सुन हो जाना 	<ul style="list-style-type: none"> • व्यक्ति का कद व्यवस्क होन पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेमी या इससे कम होना 	<ul style="list-style-type: none"> • शरीर के अंग हाथ/पैर/आँख • आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य/प्रभावित होना 
13. मांसपेशी दुर्बिकास (Muscular Dystrophy)	14. स्पेशिफिक लर्निंग डिसोर्डर्स (Specific Learning Disabilities)	15. बीमिक निःशक्ता (Intellectual Disability)
<ul style="list-style-type: none"> • मांसपेशीयों में कमजोरी एवं विकृति 	<ul style="list-style-type: none"> • बोलने, श्रुत, लेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई 	<ul style="list-style-type: none"> • सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई • प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई 
16. मल्टीपल स्कलेरोसिस (Multiple Sclerosis)	17. पार्किन्सन्स रोग (Parkinson's Disease)	18. हीमोफिलिया/अधि रक्तस्त्राव (Hemophilia)
<ul style="list-style-type: none"> • दिग्मन एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी 	<ul style="list-style-type: none"> • हाथ/पांव/मांसपेशीयों में जकड़न • तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई 	<ul style="list-style-type: none"> • चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव • रक्त बहना बन्द नहीं होना 
19. थलेसेमिया (Thalassemia)	20. स्किल सैल डिजीज (Sickle Cell Disease)	21. बहु निःशक्ता (Multiple Disabilities)
<ul style="list-style-type: none"> • खून में हीमोग्लोबिन की विकृति • खून मात्रा कम होना 	<ul style="list-style-type: none"> • खून की कमी अत्यधिक कमी (रक्त अल्पता) • खून की कमी से शरीर के अंग/अवयव खराब होना 	<ul style="list-style-type: none"> • दो या दो से अधिक निःशक्ता से ज़्यादा 



श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

योजना प्रारंभ से अब तक 8132 से अधिक निःशक्तजनों
के विवाह सम्पन्न किये गये।

व्यय की गई कुल राशि रु. 27.70 करोड़ रुपये

प्रदेश सरकार द्वारा

निःशक्तजन को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना **वर्ष 2008** से प्रारंभ की गयी है।

एक निःशक्त तथा एक सामान्य व्यक्ति को आपस में विवाह करने पर

रुपये 2.00 लाख प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।

विवाह के इच्छुक दोनों व्यक्तियों के निःशक्त होने पर संयुक्त रूप से दम्पत्ति को

रुपये 1.00 लाख सहायता राशि का प्रावधान।



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

संपूर्ण नियमावली विभाग की वेबसाइट <http://socialjustice.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

